




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)


प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
जुम्मा बनाम जफरुदीन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.22	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.10.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी ख0न0 हाल 80 रकबा 0.4600हे0 स्थित वाके ग्राम औदरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 10.10.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर) </p>	
10-10-22	<p>वकील प्रार्थी उप0/ वास्ते इंतजार तामील दिनांक 15-11-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर) </p>	दिनांक 15-11-22


15-11-22 वकील प्रार्थी उप0/ इंतजार तामील दिनांक 03-01-23 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढबास (अलवर)

3/01/23 वकील प्रार्थी उप0/ इंतजार तामील दिनांक 07/02/23 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढबास (अलवर)

20/02/23 वकील प्रार्थी उप0/ वास्ते इंतजार तामील दिनांक 20/3/23 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढबास (अलवर)

03/23 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब बार द्वारा कर्म स्थगन
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि उष. आयन्दा दिनांक... 23-5-23
को पेश हो।

रीडर

13-6-23 पत्रावली प्रधानाचार्यी के संग कर्मस्थगन के पत्रावली
मुख्यालय पर पेश हुई। निर्दिष्ट ही सजा आयन्दा दिनांक
17-7-23 को पेश हो।

17-7-23 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब बार द्वारा कर्म स्थगन
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि उष. आयन्दा दिनांक... 6-11-23
को पेश हो।

रीडर

01/11/23 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि उष. आयन्दा दिनांक... 22/11/24
को पेश हो।

रीडर

2/11/24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि उष. आयन्दा दिनांक... 13/3/24
को पेश हो।

रीडर

13/3/24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि उष. आयन्दा दिनांक... 18/3/24
को पेश हो।

रीडर

8/03/24 पत्रावली पेश हुई। बहीव खाची उप. नही। डा. पत्र का मूल का
अदम खजरी। पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः डा. पत्र 212
की अदम खजरी। पैरवी में खारिज किया जाकर पत्रावली फंसल
शुमार होकर, दायित्व लेख सञ्चार हो।

RA
विचार करे
सेवा नं. 23/3/22
साह